



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,
जल निगम कॉलोनी, गोफियारा, उत्तरकाशी - 249193

Email: cecduttarkashi@gmail.com
(ऑफिस) : 01374-223648
फैक्स : 01374-223648
मो0न0: 7830500817

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बडकोट, उत्तरकाशी।

रजिस्टर्ड / स्पेड पोस्ट

पत्रांक 464 / 423 / 19 दिनांक : 9-03-17

विषय :- स्यालब सुकन पेयजल योजना की वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ :- 1. इस कार्यालय द्वारा स्यालब सुकन पेयजल योजना हेतु वनभूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रेषित प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
2. आपका कार्यालय पत्रांक 187/12-1, दिनांक 26.07.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में स्यालब सुकन पेयजल योजना के हस्तान्तरण हेतु निम्नानुसार आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रपत्र संलग्न है।

क्र.सं.	वर्णित आपत्ति	निराकरण आख्या	टिप्पणी
01	02	03	04
1	प्रस्तावित पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।	आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी का वित्तीय स्वीकृति आदेश संख्या 101/अ0सं0वि0/जि0यो0-वजट/11--12, दिनांक 05.036.2012 संलग्न है।	उक्तानुसार प्रपत्र ऑन लाईन करा दिये गये है।
2	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा निर्धारित लीज रेट प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	लागू नहीं।	-
3	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई प्रमाण पत्र तथा प्रतिवेदन में आपके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये है।	अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित लम्बाई चौड़ाई का प्रमाण पत्र एवं प्रतिवेदन संलग्न है।	उक्तानुसार प्रपत्र ऑन लाईन करा दिये गये है।
4	पेयजल योजना की लम्बाई भी सूचित करें।	अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।	उक्तानुसार प्रपत्र ऑन लाईन करा दिये गये है।

संलग्नक :- उक्तानुसार।

माननीय
जल निगम अधिकारी

17/3/2017

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव -

प्रतिलिपि श्रीमती वन्दना रानी, प्रभारी वन भूमि हस्तान्तरण (ऑनलाईन सेल) को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रकरण पर आपके स्तर से पूर्व ही काफी विलम्ब हो चुका है। अतः तत्काल प्रकरण का अंतिम निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(एस.पी. गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

D:\AR\Letter Pad 2017.doc
"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाईये।" वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।
"राजसूत लोक तंत्र सबकी शांतिदायी, मतदाज अवश्य करें"